

जिला गव्य विकास कार्यालय,।

"मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना" के तहत अनुदानित/लाभुक अंशदान पर 02 दुधारु मवेशी (गाय/भैंस) क्रय हेतु आवेदन-पत्र

क्रमांक

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,

.....।

रंगीन
स्वहस्ताक्षरित
फोटो

वित्तीय वर्ष में झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित दुधारु मवेशी वितरण योजना हेतु मैं अपना पूर्ण आवेदन देते हुए अनुदान सह लाभुक अंशदान पर 02 गाय/भैंस ईकाई की योजना की स्थापना हेतु सम्मिलित होना चाहती हूँ। मैं 02 गाय/भैंस की योजना स्थापित करने हेतु लाभुक अंशदान के रूप में प्रथम चरण में रुपये तथा द्वितीय चरण में रुपये अपने बैंक खाता में जमा करूँगी।

आवश्यक विवरणी

1. आवेदिका का नाम पिता/पति का नाम :-.....
उम्र ग्राम डाकघर..... पंचायत.....
प्रखण्ड जिला..... पिन कोड।
2. मोबाईल संख्या (अनिवार्य है)।
3. सामाजिक श्रेणी (कृपया उपयुक्त कॉलम (✓) में लगावें)।

सामाजिक श्रेणी	अनु० जाति	☐	अनु० जन जाति	☐	सामान्य जाति/ अन्य पिछड़ी जाति	☐
अल्पसंख्यक समुदाय	ईसाई	☐	मुस्लिम	☐	सिख	☐
प्रभावित परिवार की महिला सदस्य	1. आपदा से प्रभावित परिवार	☐	परित्यक्ता	☐	लघु सीमांत बिरसा कृषक	☐
	2. आगलगी से प्रभावित परिवार	☐				
	3. सड़क दुर्घटना से प्रभावित परिवार	☐	दिव्यांग	☐		

(स्थानीयता और जाति (ST/SC) संबंधी तथा आपदा/आगलगी से/सड़क दुर्घटना से प्रभावित परिवार की सदस्या/परित्यक्त महिला/दिव्यांग महिला संबंधी स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संबंधित मुखिया/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद् सदस्य इत्यादि से सत्यापित किया हुआ प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा)

4. आधार संख्या..... बैंक का नाम व शाखा
खाता संख्या IFSC Code

(बैंक खाता व आधार का स्वहस्ताक्षरित स्पष्ट छाया प्रति संलग्न करें)।

5. (क) परिवार के मुखिया का नाम व आवेदिका से संबंध

(ख) परिवार में सदस्यों की संख्या (1) वयस्क (2) अवयस्क

6. क्या आवेदक अथवा उनके परिवार के सदस्य विगत पाँच (05) वर्षों में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की योजनान्तर्गत गव्य विकास योजनाओं के समान योजना का लाभ प्राप्त किये हैं अथवा नहीं यदि हाँ तो उसका विवरण

7. (1) वर्तमान में दुधारु मवेशी की संख्या :- गाय..... भैंस..... बछिया.....
(2) वर्तमान में कुल दूध-उत्पादन (लीटर में).....
(3) निकटतम दुग्ध संग्रहण केन्द्र का नाम एवं दूरी (JMF द्वारा संचालित).....

8. हरा चारा लगाने हेतु जमीन की उपलब्धता है या नहीं (यदि हाँ - एकड़ में)

9. हरा चारा उत्पादन करने हेतु सहमति :- हाँ ☐ नहीं ☐

10. सिंचाई का साधन है या नहीं

मैं एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त दिये गये विवरणी मेरी जानकारी के अनुसार सही है तथा उपरोक्त बताए गए तथ्य गलत पाये जाने पर योजना के लाभ से वंचित किया जा सकता है।

आवेदक का हस्ताक्षर

राज्यादेश के आदेशानुसार प्रखण्ड एवं जिला स्तरीय समिति से अनुमोदित एवं अनुशंसा के पश्चात् लाभकों को अपना अंशदान जमा करने के बाद ही उनके Escrow/Dedicated खाता में सरकारी अनुदान की राशि हस्तांतरित किया जायगा।

ग्राम सभा/पंचायत समिति की अनुशंसा

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति.....

पिता/पति का नाम..... ग्राम डाकघर.....

पंचायत प्रखण्ड जिला-..... को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अन्तर्गत 02 गाय की योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ग्राम सभा/पंचायत समिति से अनुशंसित एवं उपयुक्त लाभुक हैं। साथ ही साथ लाभुक को मनरेगा से 02 गाय/भैंस का दुधारु पशु शेड निर्माण हेतु अनुशंसा की जाती है।

पंचायत सचिव का
हस्ताक्षर एवं मुहर

मुखिया/पंचायत समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्य
का हस्ताक्षर एवं मुहर

सभी महिला आवेदकों के लिये अंचल अधिकारी द्वारा भूमि स्वामित्व एवं लघु सीमान्त
बिरसा कृषक प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि खाता नम्बर सर्वे संख्या

ग्राम कुल रकबा श्री/श्रीमती

रजिस्टर-2 में दर्ज रैयत हैं। श्रीमती(आवेदक)..... का का संबंध है।

वंशावली के आधार पर आवेदिका के हिस्से में रकबा भूमि आती है। लाभुक लघु सीमान्त कृषक श्रेणी के हैं/नहीं हैं।

अंचलाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

गव्य तकनीकी पदाधिकारी/जिला गव्य विकास पदाधिकारी की अनुशंसा

श्रीमती पिता/पति ग्राम डाकघर ...

..... पंचायत..... प्रखण्ड जिला-..... को योजना का

नाम/उद्देश्य जो लाभुक के अंशदान जमा उपरान्त योजना

का लाभ प्राप्त करने की अनुशंसा की जाती है।

गव्य तकनीकी पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं मुहर

जिला गव्य विकास पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं मुहर

स्व-घोषणा पत्र

मैं श्रीमती/सुश्री..... पिता/पति का नाम.....
उम्र..... जाति(ST/SC/Other) ग्राम..... पो0..... पंचायत.....
..... प्रखण्ड..... थाना..... आधार नं0 मोबाईल नं0.....
..... बैंक खाता सं0..... बैंक का नाम व शाखा.....
..... IFSC Code

श्रेणी - (उपयुक्त कॉलम में सही निषान (✓) लगाएँ)

स्थानीय	☐	परित्यक्ता	☐
आपदा से प्रभावित परिवार	☐	दिव्यांग	☐
आगलगी से प्रभावित परिवार	☐	लघु/सिमान्त कृषक	☐
सड़क दुर्घटना से प्रभावित परिवार	☐		

(पूरे होषो-हवास एवं स्वच्छ चित मन से) शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि :

1. मैं किसी संस्थागत भूमि धारक नहीं हूँ।
2. मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य पूर्व अथवा वर्तमान संवैधानिक पदधारक नहीं हूँ।
3. मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य पूर्व अथवा वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री तथा पूर्व अथवा वर्तमान लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधानसभा/राज्य विधान परिषद के सदस्य, पूर्व अथवा वर्तमान नगर निगम के महापौर/ पूर्व अथवा वर्तमान जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं है।
4. मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य केन्द्र/राज्य सरकार के मंत्रालय/विभाग/लोक उपक्रमों एवं उनसे सम्बद्ध कार्यालयों/सरकारी स्वायत्तशासी संस्थाओं में सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मी तथा स्थानीय निकायों का नियमित कर्मी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग IV/समूह घ के कर्मी को छोड़कर) नहीं है।
5. मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य सेवानिवृत्त/ अवकाश प्राप्त पेंशनर, जिनका मासिक पेंशन 10000/-रु0 अथवा उससे अधिक हो (मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग IV/समूह घ के कर्मी को छोड़कर) नहीं है।
6. मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य द्वारा पिछले मुल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान नहीं किया गया है।
7. मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य पेशेवर संस्थाओं से निबंधित पेशेवर यथा चिकित्सक, अभियंता, वकील, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वर्ग एवं अर्किटेक्ट की पेशा में संलिप्त नहीं है।
8. मुझे चयन की सूचना प्राप्त होने के पश्चात 01(एक) माह के अन्दर अपना लाभुक अंशदान की राशि बैंक खाते में जमा कर दूँगी लाभुक अंशदान जमा करने के उपरान्त ही पशुओं के क्रय/प्राप्त करने की अर्हता प्राप्त होगी अन्यथा मेरे स्थान पर प्रतीक्षा सूची में अंकित अन्य चयनित लाभुकों को योजना का लाभ दिया जा सकता है, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
9. मेरे बैंक खाता (Escrow Account) में जमा की जानेवाली अनुदान राशि तथा लाभुक अंशदान की राशि की निकासी तथा उपयोग दुधारु पशु कय के उपरान्त सक्षम प्राधिकार के अनुमति पश्चात करूँगी।

10. राज्यादेश के अनुसार, प्रखण्ड एवं जिला स्तरीय समिति से अनुशंसा के पश्चात् लाभुक के द्वारा अपना अंशदान जमा कराने के बाद ही सरकारी अनुदान की राशि उनके खाता Escrow / Dedicated खाता में हस्तांतरित किया जायेगा।

11. इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी दुधारु पशुओं की बिक्री अथवा किसी को हस्तांतरित नहीं करूँगी।

उपर्युक्त कंडिका 01 से 10 में अंकित कथन पूर्णतः सत्य है एवं उपर्युक्त घोषणा बिना किसी भय, दबाव तथा प्रलोभन के स्वच्छ मन से दे रही हूँ।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठा का निषान

लाभुक द्वारा उपर्युक्त घोषणा की सत्यता जाँच कर ली गई है जो सही है।

पंचायत सचिव / संबंधित मुखिया / पंचायत समिति सदस्य / जिला परिषद सदस्य
का हस्ताक्षर एवं मुहर